बिहार सरकार

समाहरणालय, गोपालगंज।

(जिला पशुपालन कार्यालय गोपालगंज।)

निविदा संख्या – 01

अल्प अवधि निविदा

उत्पादक/भंडारकर्ता/उप भंडारकर्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/सुखाड़ कार्य के लिए गेहूँ का भूसा, पुआल की कुटटी, दलहन की चुन्नी एवं गेहूँ का चोकर का सील बंद निविदा गोपालगंज जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2019–20 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 20.06.2019 शाम 5:00 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय, गोपालगंज में प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकरी, गोपालगंज की अध्यक्षता में जिला निविदा कमिटी के द्वारा अगले दिन 21.06..2019 को 03:00 बजे अपराहन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के सूचना पटट् एवं जिला वेबसाईट www.gopalganj.nic.in तथा विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 5000/–(पॉच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो गोपालगंज शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य है।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

निविदा की शर्तें निम्न है:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का चोकर, गेहूँ का भूसा, पुआल की कुट्टी एवं चुन्नी हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रूपये 5000/–का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के पदनाम से एवं गोपालगंज में देय होगा। असफल निविदादाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. सामग्री का नमूना 200 gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो उसपर नाम, पता, एवं मोबाईल न० अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तीय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुट्टी/चुन्नी का दर अलग–अलग अंकित होना चाहिए।
8. सामग्री की आपूर्ति गोपालगंज जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।
11. सभी अंचलों में निर्देशित स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
12. किसी भी स्तर पर निविदा रदद् किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रदद् किया जा सकता है
13. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमितता, गुणवता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है।
14. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
15. कोई भी विवाद गोपालगंज न्यायालय के दायरे में होगा।
16. चोकर/गेहूँ का भूसा/पुआल की कुट्टी/चुन्नी के गुणवता में संदेह होने पर गुणवता जाँच कराई जा सकती है।
17. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा दिया जायेगा, जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।
18. भूसा/पुआल/चोकर/चुन्नी में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होगी।
19. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटौती की जायेगी।

क्रमांक	सामग्री	गुणवता
1	गेहूँ का भूसा	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
2	पुआल की कुट्टी	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
3	चोकर (गेहूँ)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
4	चुन्नी (दल्हन)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।